



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168656

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7839/2026

मोहम्मद शाहिद उर्फ फैजल एवं अन्य आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : शरीक अहमद

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 326 वर्ष 2020, उत्तर प्रदेश गिराहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 3(1) (जिसे आगे 'गैंगस्टर्स अधिनियम' कहा गया है), थाना-कोतवाली नगर, जनपद-मऊ में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदकों को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदकों को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वे निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग करते हैं:-

i)- गैंग चार्ट में उल्लिखित एकमात्र मूल प्रकरण के आधार पर आवेदकों को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है और उक्त प्रकरण में आवेदक अग्रिम जमानत पर हैं।

ii)- गैंगस्टर्स अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रारंभ में आवेदकों के नाम नहीं थे, तथापि उनके नाम पूरक गैंग चार्ट में सम्मिलित किए गए हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii)- गैंग चार्ट में उल्लिखित मूल प्रकरण के अतिरिक्त आवेदकों का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है, सिवाय उस प्रकरण के जो कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के उल्लंघन में आवेदक संख्या 1 के विरुद्ध दर्ज किया गया था और जिसे बाद में राज्य द्वारा वापस ले लिया गया है।

5- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वह आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तथ्यात्मक कथनों का खंडन नहीं कर सके।

6- मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

7- आवेदकों के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं हैं। उनका नाम एकमात्र मूल प्रकरण में तैयार किए गए पूरक गैंग चार्ट में सामने आया है। आवेदक गैंग चार्ट में दर्शाए गए एकमात्र मूल प्रकरण में अग्रिम जमानत पर हैं।

7- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदकों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8- उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदकों का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9- आवेदक-**मो. शाहिद @ फैसल, जमील अहमद @ मुन्नू तथा अबुल लैस** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि वे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानत प्रस्तुत करें तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करें:-

i)- आवेदक जब भी अपेक्षित हों, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;

ii)- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे, जिससे उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके;

iii)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;

iv)- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे धमकाएंगे नहीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

11- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

11 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय